I/39339/2023

Website-http://ukwms.org
E-mail-ceouk@wakf.gov.in

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कालोनी, देहरादून 248001

पत्रांकः— 849 /उ0व0बोर्ड/879 विविध/2023—24 दिनांक—12 अक्टूबर, 2023

आवश्यक सूचना

समस्त प्रबन्ध समिति/मुतवल्ली/प्रशासक,
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड
उत्तराखण्ड।

विषयः—उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत मदरसों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि समाचार पत्र के माध्यम से संज्ञान में आया है कि जनपद नैनीताल के बीरभट्टी कस्बे में संचालित मदरसे में अनियमिततायें पायी गई एवं इस सम्बन्ध में मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जांच के निर्देश दिये गये है।

2— तत्क्रम में उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत वक्फ प्रबन्धन/मुतवल्ली/प्रशासकों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी अधिकारिता वाले समस्त मदरसों/स्कूलों/मकतब आदि में छात्र—छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाते हुए एवं छात्रों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्थायें कर कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा जिन मदरसों/स्कूलों/मकतब आदि में पूर्व से ही सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गये है, की सूचना कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सी.सी.टी.वी. कैमरे सुचारू अवस्था में रहें।

3— उपरोक्त आदेश का अनुपालन न किये जाने पर सम्बन्धित प्रबन्धन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

Signed by Syed Shiraz Usman
Date: 12-10-2023 13:31:11

(एस.एस. उस्मान)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

पृष्ठांकन संख्या—849 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक प्रोग्रामर, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना को विभागीय वैबसाईट पर भी प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
3. श्री वंशराज मौर्या, मल्टीटास्किंग को इस निर्देश के साथ उक्त सूचना को उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत मदरसा प्रबन्धकों को दूरभाष/व्हटसप आदि के माध्यम से सूचित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्पादक, अमर अजाला, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त सूचना को 12X12 के सेमी कॉलम में उत्तराखण्ड के दोनों संस्करणों में शासकीय दरों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।